राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1918/2024

डॉ. यश विजय —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–II, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.07.2023
आदेश की दिनांक : 12.09.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग की उस कार्रवाई को चुनौती दे रहा है जिसके तहत अपीलार्थी को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ से NEET PG कोर्स करने के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.07.2023 (अनुलग्नक–1) को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्याय की मांग के लिए भेजे गए नोटिस पर भी विचार नहीं किया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी और दिनांक 18.12.2020 को PHC चित्तौड़ा ब्लॉक फागी, जयपुर II में पदस्थापित किया गया था और उसके बाद दो साल की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद उसे दिनांक 18.12.2021 से चिकित्सा अधिकारी के पद पर स्थायी किया गया था। स्थायीकरण आदेश दिनांक 16.06.2022 अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी दिनांक 18.12.2021 से स्थायी चिकित्सा अधिकारी है। अपीलार्थी को NEEG PG 2021 के प्रथम चरण में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर में मेडिसिन विषय में अध्ययन करने के लिए चुना गया था और अपीलार्थी ने 02.02.2022 को महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यभार ग्रहण किया गया। कॉलेज आवंटन पत्र अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। NEET PG 2021 की दूसरे राउंड की काउंसलिंग में अपीलार्थी को MD एनेस्थीसिया विषय में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ के लिए आवंटित और चयनित किया गया और उसे दिनांक 02.03.2022 को महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर से कार्यमुक्त कर दिया गया और उसने दिनांक 03.03.2022 को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स में प्रवेश ले लिया। कॉलेज आवंटन पत्र अनुलग्नक–4 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी ने 18.12.2021 तक अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी

कर ली है और माह फरवरी/मार्च 2022 में अपीलार्थी अपने पीजी कोर्स में शामिल हो गया और इस प्रकार एमडी के पाठ्यक्रम में शामिल होने के समय उसे चिकित्सा अधिकारी के पद पर स्थायी हो गया था यद्यपि स्थायीकरण आदेश दिनांक 16.06.2022 को जारी हुए। स्थायीकरण आदेश विलम्ब से जारी होने से अपीलार्थी ने एमडी कोर्स अध्ययन हेतु असाधारण अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन किया, जिसे स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी दिनांक 18.12.2021 से स्थायी चिकित्सा अधिकारी है और माह फरवरी/मार्च 2022 में एमडी कोर्स करने के लिए शामिल हुआ है और इस प्रकार वह सेवा नियमों के नियम 110 के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश का लाभ पाने का हकदार है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाए कि वे अपीलार्थी को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ से एनेस्थीसिया में एमडी कोर्स करने के लिए वेतन और सभी लाभों के साथ अध्ययन अवकाश स्वीकृत करें।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री बी.बी.एल शर्मा द्वारा विभाग को भेजे नोटिस का जवाब अपीलार्थी के अधिवक्ता को पत्र दिनांक 17.08.2023 द्वारा दिया जा चुका है। राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 08.01.2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्ष 2021 में नीट पीजी के लिए राज्य सेवा की गणना की अवधि को दिनांक 30.04.2021 से दिनांक 30.09.2021 किया गया था एवं उक्त उल्लेखित तिथि तक चिकित्सकों को सेवारत कोटे का लाभ प्रदान किये जाने हेतु गणना योग्य माना गया था। चिकित्सा अधिकारी हाल सीएएस पीजी (निश्चेतन) अध्ययनरत, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड का परीवीक्षाकाल दिनांक 17.12.2021 को पूर्ण हुआ है। जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को नियमानुसार असाधारण अवकाश अपीलार्थी की स्वयं की प्रार्थना पर स्वीकृत किया गया है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 20.12.2022 के द्वारा प्रकरण के संदर्भ में पूर्ण वस्तुस्थिति से अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 08.01.2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्ष 2021 में नीट पीजी के लिए राज्य सेवा की गणना की अवधि को दिनांक 30.04.2021 से दिनांक 30.09.2021 किया गया था एवं उक्त उल्लेखित तिथि तक चिकित्सकों को सेवारत कोटे का लाभ प्रदान किये जाने हेतु गणना योग्य माना गया था। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने एम.डी. कोर्स की पढाई हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग से विधिवत स्वीकृति प्राप्त कर वर्तमान पदस्थापन से कार्यमुक्त होकर एमडी कोर्स ज्वाइन किया हो। साथ ही पत्रावली

पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति हेतु तत्समय कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब द्वारा यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी विभाग द्वारा असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग से बिना अनुमति प्राप्त किए उक्त अध्ययन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग से उच्च अध्ययन की अनुमति संबंधी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जो सीधे तोर पर राजकीय कर्मचारी की दुराचरण की श्रेणी में आता है। असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की जा चुकी है। ऐसे में हम पाते है कि अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य